सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

अपर राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
लखनऊ।

सेवा में,

1. प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः आर0ई0एम0एस0/ 1835 /2010-11 दिनांकः 07 जुलाई, 2010

विषयः वर्ष 2010-11 हेतु शोध, मूल्याकंन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मद की धनराशि का प्रेषण एवं इसके उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय/महोदया,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में शोध, मूल्याकंन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को प्रति विद्यालय 240/- की दर से, जिला परियोजना कार्यालय को प्रति विद्यालय रु. 280/- की दर से तथा ब्लाक/नगर स्तरीय अधिकारियों के लिए रु. 280/- की दर से धनराशि अनुमन्य की गई है जिसकी 50 प्रतिशत धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार जनपदों को इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर से भेजी जा रही है। (संलग्नक-1)

कृपया शोध, मूल्याकंन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मद में निम्नांकित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

डायट स्तर पर सम्पादित कराये जाने वाले शोध, मूल्याकंन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्यों हेतु निर्देश

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत स्टाफ - प्राचार्य, उप प्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट मेन्टर्स द्वारा विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा तथा इस हेतु यात्रा देयकों का नियमानुसार भुगतान अनुमन्य है। यदि विशेष कार्य हेतु वाहन की आवश्यकता हो तो नियमानुसार किराये का भुगतान भी अनुमन्य होगा।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर Training Need analysis (T.N.A) सम्पादित कराये जायेंगे।

१७४

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upeduiio@sify.net

- ब्लाक/नगर स्तरीय अन्य आवंटित कार्यो के साथ-साथ डायट के प्रत्येक मेन्टर को विद्यालयों का गहन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना है। इसके लिए विद्यालयों में ही अध्यापकों को अकादमिक अनुसमर्थन देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाये।
- डायट प्राचार्य अपने स्तर से जनपद में डी0आर0जी0/ए0आर0जी0/बी0आर0जी0 की बैठके आयोजित करायेंगें तथा कार्यवृत्त राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें।
- जनपद स्तर पर नवाचारों पर आधारित टी0एल0एम0 सामग्री विकसित करेंगें।
- डायट स्तरीय शैक्षिक प्रतियोगिताओं के आयोजन करायेंगें तथा अभिलेखीकरण करायेंगें।
- डायट प्राचार्य बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 स्तर पर सम्पन्न होने वाले सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण का अनुश्रवण व पर्यवेक्षण राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर डी0आर0जी0/बी0आर0जी0/ए0आर0जी0 के माध्यम से करायेंगें तथा प्रत्येक प्रशिक्षण की विश्लेषणात्मक आख्या तैयार करेंगें।

स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम-

- वर्ष 2010-11 में विगत वर्ष की भांति प्रत्येक जनपद में 200-200 प्राथमिक विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षायें संचालित की जायेंगी। जनपद स्तर पर डायट द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं ब्लाक समन्वयकों द्वारा इस कार्यक्रम को समूचित अनुसमर्थन प्रदान करने एवं संवेदीकरण हेतु एक -एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु उन्हें कार्यक्रम से अवगत कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रतिभागी रू0 100/- की धनराशि का व्यय आर0ई0एम0एस मद से किया जायेगा। प्राचार्य, डायट का दायित्व होगा कि वे नियमित रूप से इन विद्यालयों का अनुश्रवण करायें तथा समय-समय पर ब्लाक स्तर/नगरीय क्षेत्रों में शिक्षामित्रों / अध्यापकों के साथ फीड बैक लें इसके लिए सम्बन्धित ब्लाक/नगर, डायट मेन्टर्स को उत्तरदायी बनाया जाये।

लर्निंग इन्हान्समेन्ट प्रोग्राम-

- एल0ई0पी0 के अन्तर्गत विद्यार्थियों की सम्प्राप्ति स्तर का पूर्व एवं पश्चात परीक्षण, वातावरण सृजन विषयक गतिविधियों (प्रर्दशनी, मेला), प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के अनुरूप अध्यापकों द्वारा कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन तथा अभिलेखीकरण का कार्य सम्पादित किया जाये।
- शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु ब्लाक/नगर क्षेत्र स्तर पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सघन अनुश्रवण टीम बनाकर किया जाये ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनी रहे इसके अन्तर्गत यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अध्यापक द्वारा उसका कक्षा शिक्षण में उपयोग हो तथा यदि कोई समस्या आती है तो स्थलीय (On-site) अकादमिक सहयोग दिया जाये।
- प्रत्येक कार्यक्रम का अभिलेखीकरण अनिवार्यतः किया जायेगा।

सत्र परीक्षा एवं विद्यालय विकास योजना का निर्माण-

- बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का मूल्याकंन करने के लिये आयोजित सत्र परीक्षाओं के अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन की व्यवस्था की जाये।

क्वालिटी मानीटरिंग टूल्स-

- क्वालिटी मानीटरिंग प्रपत्रों को विद्यालय स्तर, न्याय पंचायत स्तर तथा ब्लाक स्तर से भरवाकर रिपोर्ट तैयार की जाये तथा संकलित सूचना निर्धारित अवधि में राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये। इन प्रपत्रों को यथा आवश्यकता मुद्रित कराकर विद्यालयों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों, ब्लाक/नगरीय संसाधन केन्द्रों को उपलब्ध कराने का दायित्व प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय-

- राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा नामित मेन्टर एवं डायट संकाय सदस्यों द्वारा नियमित रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाये। इसके लिये विद्यालयों में ही अध्यापकों को स्थलीय सपोर्ट देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाये।
- प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा), डायट संकाय सदस्य द्वारा इस शैक्षिक सत्र में प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का एक दिवसीय पैनल निरीक्षण कर लिया जाये। इस निरीक्षण से जो शैक्षिक गैप्स इंगित हों, उन्हें दूर करने के लिये जनपद स्तर पर कार्य प्लान बनाये जायें।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अध्यापकों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाये।
- कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।
- जनपद में विगत वर्षों में कक्षा-8 पास करने वाली छात्राओं का एक दिवसीय सम्मेलन।
- प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का एक वार्षिकोत्सव आयोजित किया जाये।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में किये जा रहे गुड प्रैक्टिसेस का अभिलेखीकरण किया जाये।

एक्शन रिसर्च-

- विगत वर्षों में डायट द्वारा एक्शन रिसर्च करायी जाती रही है। वर्ष 2010-11 में भी समस्याओं के तात्कालिक समाधान हेतु डायट मेन्टर्स, बी0आर0सी0 समन्वयक/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों/अध्यापकों द्वारा एक्शन रिसर्च करायी जाये तथा एक्शन रिसर्च के संकलन को आवश्यकतानुसार मुद्रित भी कराया जाये।
- एक्शन रिसर्च की विस्तृत आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाये।

संगोष्ठी एवं कार्यशालायें-

- डायट, प्राचार्य जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता हेतु समय-समय पर गोष्ठियां तथा कार्यशालाओं हेतु अभिनव प्रयोग अपने स्तर से करेंगे।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित कार्यशालाओं का आयोजन

- बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में डायट द्वारा जिला स्तर के अधिकारियों एवं जिला समन्वयकों हेतु अभिमुखीकरण कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी साथ ही अध्यापकों हेतु ब्लाक स्तर/नगर क्षेत्र व एन0पी0आर0सी0 स्तर पर जिला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशालाओं को आयोजित डायट द्वारा कराया जायेगा।
- बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की प्रमुख जानकारियों के प्रचार, प्रसार हेतु सामग्री निर्माण करायेंगें।

विशेष प्रशिक्षण (गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्र) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

- राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से जनपदों में डायट स्तर पर उक्त प्रशिक्षण कराये जायेंगें।

विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों) का निरीक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों) का सघन अनुश्रवण निरीक्षण, एवं मूल्यांकन टीम बनाकर डायट स्तर से डायट प्राचार्य, प्रवक्ता व डायट मेण्टर द्वारा किया जाये ताकि कार्यक्रम संचालन में अकाद्मिक सहयोग एवं शैक्षिक अनुमर्थन प्रदान किया जा सके।
- अकाद्मिक सहयोग एवं शैक्षिक अनुसमर्थन का अभिलेखीकरण अनिवार्यतः कराया जाये।

जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर सम्पादित कराये जाने वाले शोध, मूल्याकंन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्यों हेतु निर्देश

शोध, मूल्याकंन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मद से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ स्टाफ हेतु निम्नांकित कार्यो के लिये व्यय वहन किया जायेगा।

- **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला समन्वयकों, ई0एम0आई0एस0 इंचार्ज एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की समस्त योजनाओं के अनुश्रवण एवं सुपरविजन हेतु यात्रा व्यय तथा स्टेशनरी पर होने वाला व्यय इस मद से नियमानुसार वहन किया जायेगा।**
- राज्य स्तर अथवा वाह्य टीम पर होने वाला व्यय आर0ई0एम0एस0 मद से नियमानुसार वहन किया जायेगा।
- ब्लाक/नगरीय क्षेत्रों में स्थापित ई0एम0आई0एस0 सेल के सदस्यों के प्रशिक्षण का आयोजन।
- परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों का मुद्रण एवं सम्बन्धित आंकडों का कम्प्यूटरीकरण / संकलन, परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों को अद्यतन किया जाना, बच्चों के ट्रैकिंग की गहन अनुश्रवण व्यवस्था।
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिन्हांकन हेतु विकलांगतावार चैकलिस्ट का मुद्रण, परिवार सर्वेक्षण के समय चिन्हांकित CWSN का संकलन/कम्प्यूटरीकरण एवं अनुश्रवण।

* आगामी वर्ष 2011-12 की वार्षिक कार्ययोजना की संरचना।
* सतत् व्यापक मूल्यांकन के क्रियान्वयन हेतु पंजिकाओं, प्रगति प्रपत्र, सी0सी0ई0, शिक्षक संदर्शिका निर्माण, विद्यालय/एन0पी0आर0सी0/ब्लाक स्तर/नगर पर जनवाचन हेतु विज्ञापन, प्रचार प्रसार तथा मुद्रण एवं अन्य सामग्री का क्रय किया जायेगा।
* समीक्षा / अनुश्रवण बैठकों का आयोजन।
* प्री प्राइमरी (स्कूल रेडीनेस) कक्षाओं का संचालन एवं अनुश्रवण।

समेकित शिक्षा

* समेकित शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के पांच दिवसीय प्रशिक्षण एवं तदोपरान्त कक्षा में क्रियान्वयन का अनुश्रवण।
* प्री-इन्टीग्रेशन कैम्प के वार्डन एवं स्पेशल टीचर्स के दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु व्यय आर0ई0एम0एस0 से किया जाये।
* प्री-इन्टीग्रेशन कैम्प का निरीक्षण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण जनपद स्तर पर किया जाये।

बालिका शिक्षा/एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम

* राज्य मण्डल एवं जनपद स्तर पर नामित सदस्यों, एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रमों एवं बालिका शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु मीनामंचों का गठन एवं कार्यविधियों अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की जाये साथ ही स्थानीय अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने हेतु समुचित व्यवस्था की जाये।
* जनपद स्तर पर डायट के माध्यम से मीना मंच की गतिविधियों पर एक्शन रिसर्च किये जाये तथा मीना मंचों के सुदृढ़ीकरण हेतु समय-समय पर अपेक्षित सुधार एवं समस्या समाधान के सुझाव दिये जायें।

प्रशिक्षण/संगोष्ठी एवं कार्यशालायें

* शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रमों में बालिकाओं के जीवन कौशल विकास हेतु स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करके कार्यक्रम बनाया जाये।
* मीना सुगम कर्ता एवं व्यावसायिक शिक्षा अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट विकास खण्ड स्तर पर कराने की व्यवस्था करायी जाये।
* समय-समय पर बालिकाओं की शिक्षा में गुणवत्ता विकास तथा अभिनवीकरण पर संगोष्ठी एवं कार्यशालायें आयोजित की जाये

विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों) का निरीक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

* विशेष प्रशिक्षण का गहन अनुश्रवण जनपद, विकास खण्ड/जोन, न्याय पंचायत/वार्ड तथा ग्राम स्तर पर किया जायेगा।

७२

- जनपद स्तर पर योजना का प्रभावी का निरीक्षण व पर्यवेक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा व सामुदायिक सहभागिता) द्वारा किया जायेगा तथा उक्त केन्द्रों में अकाद्मिक सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा बच्चों के गुणवत्ता संवर्द्धन एव विद्यालय में नियमित ठहराव हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा तथा आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में कौशल विकास कार्यक्रम का प्रभावी निरीक्षण, पर्यवेक्षण व अनुश्रवण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें।

ब्लाक/नगर मुख्यालय स्तर पर सम्पादित कराये जाने वाले शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्यों हेतु निर्देश

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय–

- वर्ष 2010-11 में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों / प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों/नगर शिक्षा अधिकारी के लिए धन आवंटित किया गया है जिसके अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों/नगर शिक्षा अधिकारी को सर्व शिक्षा अभियान के समस्त कार्यक्रमों के संचालन तथा विद्यालयों के निरीक्षण / पर्यवेक्षण हेतु यात्रा भत्ता, स्टेशनरी, आकस्मिक व्यय एवं ब्लाक स्तरीय गोष्ठी आदि पर नियमानुसार व्यय अनुमन्य होगा।
- विद्यालयों में पुस्तके, कार्यपुस्तिकाएं एवं अन्य पठन सामग्री वितरण के आधार पर कक्षा शिक्षण तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान की प्रायोगिक गतिविधियों के लिये शिक्षक प्रशिक्षण प्रयोग हेतु सामग्री आदि की विद्यालयों में उपलब्धता, भाषा एवं गणितीय दक्षता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण, सत्र परीक्षा एवं विद्यालय विकास योजना निर्माण, पाठ्य पुस्तकों के वितरण का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा इसकी आख्यायें जिला समन्वयक प्रशिक्षण को उपलब्ध करायी जायेगी।
- विगत वर्ष की भांति वर्ष 2010-11 में प्रत्येक जनपद मे 200 प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी (स्कूल रेडीनेस) कक्षायें संचालित की जा रही है। अतः ब्लाक/नगर शिक्षा अधिकारी के प्राथमिक विद्यालयों में जहां प्री प्राइमरी कक्षायें संचालित की जा रही हो उन विद्यालयों का सघन अनुश्रवण एवं निरीक्षण ब्लाक अधिकारियों/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाये।
- बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों हेतु अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाना।
- बच्चों हेतु सांस्कृतिक, अकाद्मिक व खेलकूद से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों/प्रतियोगिताओं का आयोजन

विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (गैर आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्रों) का निरीक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा योजना का प्रभावी निरीक्षण व पर्यवेक्षण व अनुश्रवण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में कौशल विकास कार्यक्रम का प्रभावी निरीक्षण पर्यवेक्षण व अनुश्रवण ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।

उल्लेखनीय है कि ब्लाक एवं नगर शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय द्वारा अपेक्षित कार्यक्रमों में अनुश्रवण, निरीक्षण सम्बन्धी निर्देशों को क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगें।

कृपया उक्त स्वीकृत गतिविधियों/कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उक्त धनराशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एवं प्रोक्योरमेन्ट प्राविधानों के अनुरूप वास्तविक के आधार पर कराने एवं व्यय विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तवत्

भवदीय,

(अशोक गांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0:आर0ई0एम0एस0/ 1835 /2010-11 दिनांकः 07 जुलाई 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ सलाहाकार, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
6. अपर परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय,लखनऊ।
7. समस्त वरिष्ठ विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ0प्र0।

(अशोक गांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक

संलग्नक–1

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण (REMS) हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष जनपदवार प्रेषित धनराशि का विवरण

रू0 लाख में

क्र0सं0	जनपद	विद्यालयों की संख्या	अनुमोदित बजट (@ रू0800 प्रति जनपद)	जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो हेतु		विकासखण्ड/नगर स्तरीय कार्यालय द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों हेतु		जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो हेतु	
				अनुमोदित बजट (@ रू0 280)	डी0पी0ओ0 को प्रेषित बजट (@ रू0 140 प्रति विद्यालय की दर से)	अनुमोदित बजट (@ रू0 280 प्रति विद्यालय की दर से)	डी0पी0ओ0 को प्रेषित बजट (@ रू0 140 प्रति विद्यालय की दर से)	अनुमोदित बजट (@ रू0 240 प्रति विद्यालय की दर से)	डायट को प्रेषित बजट (@ रू0 120 प्रति विद्यालय की दर से)
1	आगरा	2859	22.87	8.01	4.00	8.01	4.00	6.86	3.43
2	अलीगढ	2555	20.44	7.15	3.58	7.15	3.58	6.13	3.07
3	इलाहाबाद	3699	29.59	10.36	5.18	10.36	5.18	8.88	4.44
4	अम्बेडकरनगर	1926	15.41	5.39	2.70	5.39	2.70	4.62	2.31
5	औरैया	1630	13.04	4.56	2.28	4.56	2.28	3.91	1.96
6	आजमगढ	3248	25.98	9.09	4.55	9.09	4.55	7.80	3.90
7	बदायूं	2928	23.42	8.20	4.10	8.20	4.10	7.03	3.51
8	बागपत	661	5.29	1.85	0.93	1.85	0.93	1.59	0.79
9	बहराइच	3274	26.19	9.17	4.58	9.17	4.58	7.86	3.93
10	बलिया	2573	20.58	7.20	3.60	7.20	3.60	6.18	3.09
11	बलरामपुर	1986	15.89	5.56	2.78	5.56	2.78	4.77	2.38
12	बांदा	1986	15.89	5.56	2.78	5.56	2.78	4.77	2.38
13	बाराबंकी	2788	22.30	7.81	3.90	7.81	3.90	6.69	3.35
14	बरेली	2783	22.26	7.79	3.90	7.79	3.90	6.68	3.34
15	बस्ती	2273	18.18	6.36	3.18	6.36	3.18	5.46	2.73
16	भदोही	1070	8.56	3.00	1.50	3.00	1.50	2.57	1.28
17	बिजनौर	2656	21.25	7.44	3.72	7.44	3.72	6.37	3.19
18	बुलन्दशहर	2455	19.64	6.87	3.44	6.87	3.44	5.89	2.95
19	चन्दौली	1529	12.23	4.28	2.14	4.28	2.14	3.67	1.83
20	चित्रकूट	1353	10.82	3.79	1.89	3.79	1.89	3.25	1.62
21	देवरिया	2584	20.67	7.24	3.62	7.24	3.62	6.20	3.10
22	एटा	1717	13.74	4.81	2.40	4.81	2.40	4.12	2.06
23	इटावा	1843	14.74	5.16	2.58	5.16	2.58	4.42	2.21
24	फैजाबाद	2027	16.22	5.68	2.84	5.68	2.84	4.86	2.43
25	फर्रुखाबाद	1824	14.59	5.11	2.55	5.11	2.55	4.38	2.19
26	फतेहपुर	2505	20.04	7.01	3.51	7.01	3.51	6.01	3.01
27	फिरोजाबाद	2028	16.22	5.68	2.84	5.68	2.84	4.87	2.43
28	जी0बी0नगर	733	5.86	2.05	1.03	2.05	1.03	1.76	0.88
29	गाजियाबाद	1265	10.12	3.54	1.77	3.54	1.77	3.04	1.52
30	गाजीपुर	2593	20.74	7.26	3.63	7.26	3.63	6.22	3.11
31	गोण्डा	2874	22.99	8.05	4.02	8.05	4.02	6.90	3.45

संलग्नक-1

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण (REMS) हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष जनपदवार प्रेषित धनराशि का विवरण

रू0 लाख में

क्र0स0	जनपद	विद्यालयो की संख्या	अनुमोदित बजट (@ रू0800 प्रति जनपद)	जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो हेतु		विकासखण्ड/नगर स्तरीय कार्यालय द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो हेतु		जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो हेतु	
				अनुमोदित बजट (@ रू0 280)	डी0पी0ओ0 को प्रेषित बजट (@ रू0 140 प्रति विद्यालय की दर से)	अनुमोदित बजट (@ रू0 280 प्रति विद्यालय की दर से)	डी0पी0ओ0 को प्रेषित बजट (@ रू0 140 प्रति विद्यालय की दर से)	अनुमोदित बजट (@ रू0 240 प्रति विद्यालय की दर से)	डायट को प्रेषित बजट (@ रू0 120 प्रति विद्यालय की दर से)
32	गोरखपुर	3051	24.41	8.54	4.27	8.54	4.27	7.32	3.66
33	हमीरपुर	1218	9.74	3.41	1.71	3.41	1.71	2.92	1.46
34	हरदोई	3573	28.58	10.00	5.00	10.00	5.00	8.58	4.29
35	हाथरस	1479	11.83	4.14	2.07	4.14	2.07	3.55	1.77
36	जालौन	1927	15.42	5.40	2.70	5.40	2.70	4.62	2.31
37	जौनपुर	3559	28.47	9.97	4.98	9.97	4.98	8.54	4.27
38	झांसी	1679	13.43	4.70	2.35	4.70	2.35	4.03	2.01
39	जे0पी0नगर	1546	12.37	4.33	2.16	4.33	2.16	3.71	1.86
40	कन्नौज	1559	12.47	4.37	2.18	4.37	2.18	3.74	1.87
41	कानपुर देहात	2319	18.55	6.49	3.25	6.49	3.25	5.57	2.78
42	कानपुर नगर	2468	19.74	6.91	3.46	6.91	3.46	5.92	2.96
43	काशींरामनगर	1381	11.05	3.87	1.93	3.87	1.93	3.31	1.66
44	कौशाम्बी	1396	11.17	3.91	1.95	3.91	1.95	3.35	1.68
45	कुशीनगर	2717	21.74	7.61	3.80	7.61	3.80	6.52	3.26
46	लखीमपुरखीरी	3563	28.50	9.98	4.99	9.98	4.99	8.55	4.28
47	ललितपुर	1416	11.33	3.96	1.98	3.96	1.98	3.40	1.70
48	लखनऊ	2042	16.34	5.72	2.86	5.72	2.86	4.90	2.45
49	महाराजगंज	1993	15.94	5.58	2.79	5.58	2.79	4.78	2.39
50	महोबा	1036	8.29	2.90	1.45	2.90	1.45	2.49	1.24
51	मैनपुरी	2142	17.14	6.00	3.00	6.00	3.00	5.14	2.57
52	मथुरा	1935	15.48	5.42	2.71	5.42	2.71	4.64	2.32
53	मऊ	1626	13.01	4.55	2.28	4.55	2.28	3.90	1.95
54	मेरठ	1642	13.14	4.60	2.30	4.60	2.30	3.94	1.97
55	मिर्जापुर	2159	17.27	6.05	3.02	6.05	3.02	5.18	2.59
56	मुरादाबाद	2866	22.93	8.02	4.01	8.02	4.01	6.88	3.44
57	मुजफ्फरनगर	2176	17.41	6.09	3.05	6.09	3.05	5.22	2.61
58	पीलीभीत	1798	14.38	5.03	2.52	5.03	2.52	4.32	2.16
59	प्रतापगढ	2556	20.45	7.16	3.58	7.16	3.58	6.13	3.07
60	रायबरेली	2580	20.64	7.22	3.61	7.22	3.61	6.19	3.10
61	रामपुर	1939	15.51	5.43	2.71	5.43	2.71	4.65	2.33
62	सहारनपुर	2070	16.56	5.80	2.90	5.80	2.90	4.97	2.48

संलग्नक–1

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में अनुसंधान, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण (REMS) हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष जनपदवार प्रेषित धनराशि का विवरण

रू0 लाख में

क्र0सं0	जनपद	विद्यालयों की संख्या	अनुमोदित बजट (@ रू0800 प्रति जनपद)	जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों हेतु		विकासखण्ड/नगर स्तरीय कार्यालय द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों हेतु		जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों हेतु	
				अनुमोदित बजट (@ रू0 280)	डी0पी0ओ0 को प्रेषित बजट (@ रू0 140 प्रति विद्यालय की दर से)	अनुमोदित बजट (@ रू0 280 प्रति विद्यालय की दर से)	डी0पी0ओ0 को प्रेषित बजट (@ रू0 140 प्रति विद्यालय की दर से)	अनुमोदित बजट (@ रू0 240 प्रति विद्यालय की दर से)	डायट को प्रेषित बजट (@ रू0 120 प्रति विद्यालय की दर से)
63	सन्तकबीरनगर	1473	11.78	4.12	2.06	4.12	2.06	3.54	1.77
64	शाहाजहांपुर	3116	24.93	8.72	4.36	8.72	4.36	7.48	3.74
65	सिद्धार्थनगर	2333	18.66	6.53	3.27	6.53	3.27	5.60	2.80
66	सीतापुर	3843	30.74	10.76	5.38	10.76	5.38	9.22	4.61
67	सोनभद्र	1934	15.47	5.42	2.71	5.42	2.71	4.64	2.32
68	श्रावस्ती	1223	9.78	3.42	1.71	3.42	1.71	2.94	1.47
69	सुल्तानपुर	3366	26.93	9.42	4.71	9.42	4.71	8.08	4.04
70	उन्नाव	2892	23.14	8.10	4.05	8.10	4.05	6.94	3.47
71	वाराणसी	1524	12.19	4.27	2.13	4.27	2.13	3.66	1.83
	योग	**155340**	**1242.72**	**434.95**	**217.47**	**434.95**	**217.47**	**372.82**	**186.41**